न्यायालय अतिरि[redacted] कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौंकरिया [redacted] ारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 07 / 2024

प्रविष्टि दिनांकः– 06.08.2024

ग्राम पंचायत पनवाड पंचायत समिति देवली तहसील देवली जिला टोंक जरिये सरपंच पूरणमल

.....निगरानीकर्ता

बनाम

धर्मराज नागर पुत्र श्री खानाराम नागर जाति धाकड़ निवासी दोलता उर्फ माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

.....विपक्षी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत एक्ट 1994 विरूद्ध पट्टा आदेश दिनांक 05.07.2022 ग्राम पंचायत पनवाड पट्टा कमांक 46 बुक संख्या 77 मिसल सं. 48 / 2022

उपस्थितः (1) श्री संजय कुमार जैन, अभिभाषक निगरानीकर्ता

(2) श्री देवीप्रकाश तिवाडी एवं श्री रोमेन्द्र गुर्जर, अभिभाषक विपक्षी।

निर्णय

दिनांक 22/5/25

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत पनवाड पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.07.2022 व प्रस्ताव संख्या 04 से जरिये मिसल नम्बर 48 / 2022 एक पट्टा विलेख कमांक 46 भूमि खसरा नं0 52 रकबा 0.86 हेक्टयेर ग्राम पनवाड में विपक्षी संख्या 01 धर्मराज नागर पुत्र खानाराम नागर के पक्ष में 2100 वर्ग फीट यानि 233.33 वर्गगज का जारी किया गया। विपक्षीगण ने उक्त पट्टा विलेख को उपपंजीयक देवली के यहां दिनांक 18.11.2022 को पंजीबद्ध करवा लिया। उक्त पट्टे को विधि–विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने के आधार पर जारी होना बताते हुए निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

निगरानी दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत से पट्टे की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त पट्टा विलेख वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी ने ग्राम पंचायत के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा आबादी भूमि का जारी करवा लिया। जबकि उक्त भूमि का जो पट्टा जारी किया गया है वह भूमि आबादी भूमि में नहीं है बल्कि वह भूमि चारागाह खसरा नं. 52 है। चारागाह भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। उक्त पट्टा सहवन व भूलवश आबादी भूमि के स्थान पर चारागाह भूमि में से जारी करने में आ गया। ग्राम पंचायत को विधि अनुसार जो भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में होती है उसी का पट्टा जारी करने का विधिक अधिकार होता है। चारागाह भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं होने से पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टे की जांच पूर्ण हो चुकी है और उक्त पट्टा पब्लिक पोलिसी के विरूद्ध जारी हुआ है। ग्राम पंचायत की बैठक में सम्पूर्ण कोरम द्वारा उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है और उक्त प्रस्ताव के तहत विपक्षी को जरिये नोटिस सूचित भी किया जा चुका है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 46 बुक 77 को निरस्त किया जावें।

अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया एवं बहस की। अभिभाषक विपक्षी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत पनवाड पंचायत समिति देवली द्वारा प्रस्ताव सं०–4 लेकर आदेश दिनांक 05.07.2022 से पट्टा कमांक–46 (48/2022) नॉन रिवीजनर के हक मे जारी किया गया है और उक्त पट्टा जारी करने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार उक्त पट्टे को पंजीकृत करवाया है। उसके उपरांत भी गलत तथ्यो के आधार पर रिवीजनर द्वारा यह रिवीजन पेश की गई है। उक्त निगरानी मियाद बाहर पेश की गई है। विधि अनुसार निगरानी 90 दिवस के भीतर–भीतर पेश की जानी चाहिये थे, जो नही की गई है। पट्टा स्वंय ग्राम पंचायत पनवाड द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही होने के उपरांत व सरपंच/सचिव/ग्राम पंचायत द्वारा बाद जॉच जारी किया गया है, जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत को अर्थात रिवीजनर जारी करने की दिनांक से है। ग्राम पंचायत ने नॉन रिवीजनर से उक्त भूमि की डीएलसी राशि प्राप्त कर उक्त पट्टा जारी किया गया है। जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि नॉन रिवीजनर के परिवार के कब्जे मे 90 वर्षों से भी अधिक समय से है जहाँ पर नॉन रिवीजनर ने एक मकान व एक होटल बना रखी है, जिस पर

लाईट कनेक्शन भी है। उक्त लाईट कनेक्शन भी वर्ष 1995 से पूर्व का है। ग्राम पंचायत द्वारा नॉन रिवीजनर के स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि के समीप ही काली देवी पत्नी कैलाश जाति धाकड तथा जितेन्द्र सोयल को चारागाह भूमि में पट्टा जारी किया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा या किसी भी अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है। काली देवी तथा जितेन्द्र सोयल ने उक्त पटटा प्राप्त कर बैंक से ऋण भी प्राप्त किया हुआ है और उक्त पट्टे को बैंक के समक्ष बंधक किया है। इसी प्रकार गिरधारी पुत्र श्योजी मीणा निवासी नेगडिया को खसरा नम्बर 2465/247 मे पट्टा जारी करना दर्शित किया है। जबकि खसरा नम्बर 2465/247 नम्बर की कोई भूमि अस्तित्व मे ही नही है। जो भूमि अस्तित्व मे है, वह खसरा नम्बर 2465 की भूमि है, जो बिसलपुर परियोजना के नाम है, जिसके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई है। इसी प्रकार रामप्रसाद मीणा को बिसलपुर परियोजना की ग्रीन बेल्ट की भूमि पर, लक्ष्मीनारायण, सुमन मीणा पुत्री नरेन्द्र सिंह मीणा, श्रीमति कल्ली देवी मीणा, रामसिंह मीणा पुत्र उनमाराम, नरेन्द्र सिंह मीणा पुत्र रामसिंह, मनीषा मीणा पत्नी बजेन्द्र सिंह मीणा के नाम पट्टे जारी किए गए है। उक्त पट्टाधारकों के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं की गई है और मात्र नॉन रिवीजनर के विरूद्ध रंजिशवश यह कानूनी कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा निरस्त करने हेतु लिए गए प्रस्ताव से पूर्व विपक्षी को नहीं सुना गया है और ना ही कोई नोटिस जारी किया गया है। एक बार ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्वात लेने के बाद उक्त प्रस्वात को निरस्त करने का विधि अनुसार कोई प्रावधान नहीं है। उक्त प्रस्ताव के विरूद्ध ग्राम पंचायत को रिवीजन पेश करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है। उक्त पट्टा को उपपंजीयक द्वारा नियमानुसार पंजीबद्ध किया हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टे को सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, जिसके संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सही एवं वैधानिक है तथा निगरानी निरस्त फरमायी जावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, ग्राम पंचायत पनवाड़ की पट्टा सं. 48/2022 की पत्रावली व विपक्षी के जवाब का आद्योपान्त अध्ययन किया। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली व निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट होता हैं कि ग्राम पंचायत पनवाड़ द्वारा जो पट्टा सं. 46 विपक्षी संख्या–1 को जारी किया गया है, वह खसरा नं. 52 में स्थित है। उक्त भूमि चारागाह भूमि है जो कि निगरानीकर्ता द्वारा पेश नकल जमाबन्दी से स्पष्ट है। चारागाह भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत को विधि अनुसार जो भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में होती है उसी का पट्टा जारी करने का विधिक अधिकार होता है। चारागाह भूमि प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है एवं चारागाह भूमि का पट्टा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है इसलिए पट्टा प्रारम्भिक स्तर पर ही अवैध है एवं अवैध पट्टे को रजिस्टर्ड करा लेने मात्र से ही अवैध पट्टे को वैध ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टे की जांच पूर्ण हो चुकी है और ग्राम पंचायत की बैठक में सम्पूर्ण कोरम द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त करने का निर्णय भी लिया जा चुका है। विपक्षी ने कथन किया हैं कि अन्य पट्टाधारकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी है परन्तु इससे विपक्षी के पक्ष में चारागाह भूमि में जारी पट्टे को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। चारागाह भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत ने जो आदेश पारित किया है, वह गलत एवं नियमों के प्रतिकूल है। ऐसी स्थिति में हम ग्राम पंचायत पनवाड पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.07.2022 से विपक्षी को जारी पट्टा विलेख क्रमांक 46 भूमि खसरा नं0 52 रकबा 0.86 हेक्टयेर ग्राम पनवाड 2100 वर्ग फीट यानि 233.33 वर्गगज को निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पनवाड, पंचायत समिति देवली द्वारा दिनांक 05.07.2022 को प्रस्ताव संख्या 04 के द्वारा विपक्षी धर्मराज नागर पुत्र खानाराम नागर के पक्ष में भूमि खसरा नं0 52 रकबा 0.86 हेक्टयेर ग्राम पनवाड में 2100 वर्ग फीट यानि 233.33 वर्गगज का जारी किया गया पट्टा विलेख क्रमांक 46 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/4/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सीकरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक